भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1057

गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)

देश में रोजगार सृजन पर एआई का प्रभाव

1057. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एआई के आने से सृजित होने वाली नई नौकरियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ख) क्या बाजार में श्रम शक्ति का कोई आधारभूत सर्वेक्षण किया गया है**,** ताकि एआई के प्रयोग से संबंधित उनके कौशल का पता लगाया जा सके**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) क्या मंत्रालय ने कुशल कार्यबल की वैश्विक कमी की समस्या का समाधान करने और भारतीय कुशल युवाओं को विदेशों में अवसरों के बारे में अवगत कराने हेतु मंच प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नैसकॉम के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में नियोजनीयता के लिए आईटी कार्मिकों का रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग करना है।

अगस्त 2024 में प्रकाशित नैसकॉम की रिपोर्ट "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2022- 27 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6 लाख - 6.5 लाख पेशेवरों से बढ़कर 12.50 लाख से अधिक पेशेवरों तक बढ़ने की उम्मीद है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों में रोजगार सृजन हो सकता है। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों में 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला/प्रशिक्षण लिया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने "नेशनल एआई पोर्टल" (https://indiaai.gov.in/) आरंभ किया है, जो एआई से संबंधित पहलों, अकादमिक शोध, स्टार्टअप, नीति विकास और विचार नेतृत्व लेखों के व्यापक संग्रह के रूप में कार्य करता है। पोर्टल नैतिक एआई, तकनीकी प्रगति और उद्योगों के रुझान जैसे विषयों को कवर करने वाले वेबिनार और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करता है।

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई), विदेश मंत्रालय (एमईए) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की एक संयुक्त सहयोगी साझेदारी है, जिसका उद्देश्य संभावित प्रवासी कामगारों के बाह्य देशों में रोजगार के अवसरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुगम बनाने के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों और नौकरियों में कौशलता को बढ़ाना है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं। पहला तकनीकी टॉप-अप प्रशिक्षण है, जिसमें एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रदान की गई पूर्व शिक्षा, मूल्यांकन और प्रमाणन की मान्यता शामिल है। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग (पीडीओटी) कहा जाता है, जिसे एनएसडीसी, राज्य सरकारों और अन्य भागीदारों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने 2018 में पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किए थे जिनका उद्देश्य संभावित प्रवासी कामगारों को उनके लक्षित बाह्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपराओं तथा स्थानीय नियम और तौर-तरीकों से संबंधित सॉफ्ट स्किल से परिचित करवाना तथा उनके कल्याण तथा सुरक्षा हेतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों तथा वैध और सुरक्षित पद्धति से विदेशों में जाने हेतु जागरूक बनाना है। यह पहल कामयाब रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, कौशल / प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल पर अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल, विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा पंजीकृत भर्ती एजेंटों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****